



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 13 जून, 2026

ज्येष्ठ 23, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या 1154/छ:-पु०-9-2026-1723434

लखनऊ, 13 जून, 2026

अधिसूचना

(शक्ति)

प०आ०-428

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 15 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, जनपद अयोध्या में मोहर्रम, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दशहरा, बारावफात, दीपावली आदि त्योहारों, श्रावण झूला मेला, दीपोत्सव-2026 व परिक्रमा/कार्तिक पूर्णिमा मेला एवं अन्य कार्यक्रमों आदि के दृष्टिगत जनपद में लोक शान्ति व्यवस्था एवं जनसुरक्षा बनाये रखने हेतु जनपद में तैनात राज्य सरकार के समस्त विभागों के समस्त राजपत्रित अधिकारियों और अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को तथा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों और निगमों या निकायों के वेतन लेवल 6 रू० 35400-112400 (पूर्व वेतन बैंड-2, रू० 9300-34800, पे-ग्रेड रू० 4200) या उच्चतर वेतन बैंड का पद धारण करने वाले समस्त अधिकारियों को अधिसूचना जारी होने की तिथि से दिनांक 31 दिसम्बर, 2026 तक की अवधि के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं और ऐसे विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदान की जा सकने वाली समस्त शक्तियाँ प्रदान करते हैं, जिनका प्रयोग वे जनपद अयोध्या की सीमाओं के भीतर कर सकेंगे, जिसमें वे तत्समय तैनात हैं।

आज्ञा से,
मोहित गुप्ता,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1154/VI-P-9-2026-1723434, dated June 13, 2026:

No. 1154/VI-P-9-2026-1723434

Dated Lucknow, June 13, 2026

IN exercise of the power under Section 15 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023), the Governor is pleased to appoint from the date of issue of notification till December 31, 2026 for Festivals like Moharram, Janmashtami, Ganesh Chaturthi, Dussehra, Baravafat, Deepavali *etc.*, Shravan Jhule Mela, Deepotsav-2026 and Parikrama/Kartik Purnima Mela and other events in the District to maintain law & order, all Gazetted Officers and Subordinate Gazetted Officers of all departments of the State Government posted in District and all Officers holding posts carrying the Pay Level-6 Rs. 35400-112400 (Previously Pay Band-2 Rs. 9300-34800, Pay Grade Rs. 4200) and above in Local Authorities and Corporations or Bodies owned and controlled by the State Government, posted in District Ayodhya, as Special Executive Magistrate and to confer on them all the Powers of the Executive Magistrates as are conferrable under the said Sanhita on such Executive Magistrates, to be exercised within the limits of District Ayodhya, in which they are for the time being posted.

By order,
MOHIT GUPTA,
Sachiv.